दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

PBR/ विविध/ग्वालियर/भू-रा/2017/1817

(7)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म०प्र प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक : /2017 विविध

श्रीमती राजाबेटी पुत्री छोटा पत्नी रामाधार सिंह ग्राम बागबई तहसील भितरवार हाल मुकाम ग्रामभागीरथ का पुरा, तहसील चीनौर जिला ग्वालियर म.प्र. -- आवेदिका

बनाम

1- हरविलास पुत्र छोटा

2- दयाराम पुत्र छउआ निवासीगण भितरवार जिला ग्वालियर -- अनावेदकगण

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 29 म.प्र भू राजस्व संहिता 1959
======

श्रीमानजी,

आवेदिका की ओर से आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है:-

(1) यह कि, ग्राम बागबई तहसील भितरवार मे सर्वे क्रमांक 198 मिन रकवा 0.010 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 1713 मिन रकवा 1.400 हेक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकवा 1.410 हेक्टेयर जो कि छोटा एवं छउआ पुत्रगण लालसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम बागबई के नाम से समान भाग पर दर्ज था।

(2) यह कि, छउआ के फौत होने पर उसके पुत्र दयाराम के नाम नामांतरण स्वीकृत किया गया छोटा के फौत केहोने के बाद कूटरचित दयाराम द्वारा कूट रचित फर्जी वसीयत तैयार करतहसील न्यायालय भितरवार मे प्र.क्र. 44/11-12/अ-6 के आदेश दिनांक 16.7.2012 द्वारा नामांतरण इस प्रकार करवा लिया कि मुझ आवेदिका राजबेटी का वा[illegible] छिपाकर हरविलास को स्वयं दयाराम के नाम [illegible]

हरिन०दी मेट गागार आ०/10
द्वारा आज दि. 19-6-17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट 19-6-17
राजस्व मण्डल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/विविध/ग्वा./भू–रा/2017/1817 जिला ग्वा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–09–2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । आवेदक की ओर से इस न्यायालय में अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित करने हेतु संहिता की धारा 29 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है । आवेदक की ओर से तर्क के दौरान ऐसे कोई समुचित कारण नहीं बताये गये हैं कि प्रकरण क्यों कर स्थानान्तरित किया जाये ? अतः यह आवेदन पत्र आधारहीन होने से अमान्य किया जाता है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	